

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु अधिष्ठाता (Dean) के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 536/स्था./राज./संचिशि /2023	विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 29/05/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।
---	---

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु अधिष्ठाता (Dean) के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. अधिष्ठाता (Dean) :-

स.क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान (सातवें वेतनमान में)
1.	अधिष्ठाता (Dean)	01	1,44,200 / - (सातवें वेतनमान में लेवल 14)

2. उपरोक्त पद के लिए विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :-

पद	अर्हता
अधिष्ठाता (Dean)	(i) मान्यता प्राप्त संस्थान से मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री। (ii) चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, जिसमें से कम से कम 05 वर्ष का अनुभव विभाग में प्रोफेसर के रूप में हो।

नोट :-

- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।

(ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों को छोड़कर)।

(स) विशेष :-

- (i) उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
- (ii) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(द) टीप :-

- (i) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

3. आयु सीमा :- विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकी आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।

4. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

- (i) विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 29/05/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।

- (ii) विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

- (iii) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

5. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
निःशुल्क	निःशुल्क

6. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों को स्वप्रमाणीत कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड करें :-

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- (ii) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियाँ स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iii) संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- (iv) शोध पत्र :- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।

- (v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (vi) **अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-** शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. **निरर्हतायें :-**

- (अ) विकृत होने की स्थिति में।
- (ब) दुश्चरित्र होने पर।
- (स) शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।
- (द) कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- (इ) **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। चयन/नियुक्ति पश्चात् उक्त बात संज्ञान में आती है तो संबंधित का चयन सूची में उल्लेखित नाम तत्काल विलोपित होगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो गया हो तो उसे भी यथाशीघ्र निरस्त करते हुये अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. यदि उम्मीदवार पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त हो, जिसके आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा/साक्षात्कार

में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

10. अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

11. चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।

टीप :-

(अ) साक्षात्कार हेतु **Shortlisted** अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से उम्मीदवार की ई-मेल आई.डी. पर/विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(ब) चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापित में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. नियुक्ति के दौरान बॉण्ड :- नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय निष्पादित करना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन होने पर उसे 01 वर्ष का वेतन महाविद्यालय को चुकाना होगा।

13. विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश :-

(अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> में

प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाईट देखें :-

आवेदन-पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी/विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाईट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे।

14. अन्य आवश्यक निर्देश :-

(अ) समस्त नियुक्तियों शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अधीन रहेगी एवं किन्हीं भी कारणों से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।

(ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

15. आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 29/05/2023 सायं 5.00 बजे तक ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होंगे।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु प्राध्यापक
के पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 535/स्था./राज. /संचिशि/2023	विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
---	--

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण :-

प्राध्यापक (पदोन्नति रोस्टर आधारित)

वेतनमान – 144200–218200 (सातवें वेतनमान में लेवल 14)

क्रमांक	विषय	प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
1.	शरीररचना विज्ञान (Anatomy)	01	-	-	01
2.	शरीर रोग विज्ञान (Physiology)	01	-	-	01
3.	जीवरसायन विज्ञान (Biochemistry)	01	-	-	01
4.	भेषज विज्ञान (Pharmacology)	01	-	-	01
5.	रोग विज्ञान (Pathology)	01	-	-	01
6.	सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)	01	-	-	01
7.	फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान (Forensic Medicine)	01	-	-	01
8.	कम्युनिटी मेडिसिन (Community Medicine)	01	-	-	01

क्रमांक	विषय	प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
9.	जनरल मेडिसिन (General Medicine)	01	-	-	01
10.	जनरल सर्जरी (General Surgery)	01	-	-	01
11.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान (Obstetrics & Gynecology)	01	-	-	01
कुल योग		11	-	-	11

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है :-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :-

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
प्राध्यापक पी.जी. के बाद 8 साल का अनुभव।	संबंधित विषय में एम.डी. /एम.एस./डी.एन.बी.।	(i) किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में 3 साल के लिए विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। (ii) कम से कम चार शोध प्रकाशन (एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम दो) होने चाहिए (एन.एम.सी./एम.सी.आई. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप पेपर ही मान्य होंगे)। (iii) एन.एम.सी. द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। (iv) एन.एम.सी. द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।

नोट :-

- ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में

अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी/एमएस) और सुपर स्पेशियलिटी (डीएम/एमसीएच) स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

2. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।

(ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों को छोड़कर)।

(स) विशेष :-

(i) उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।

(ii) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(द) टीप :-

(i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल

साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक की जा सकेगी। बड़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

- (ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (iv) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

3. **आयु सीमा** :- विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकी आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।

नोट :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/

मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

- (ii) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आयु सीमा के सम्बन्ध में दी गई छूट मान्य होगी।

4. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

- (i) विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
- (ii) विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाईन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (iii) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

5 ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
निःशुल्क	निःशुल्क

6 अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों को स्वप्रमाणित कर ऑनलाईन अनिवार्य रूप से अपलोड करें :-

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

- (ii) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियाँ स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iii) संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- (iv) शोध पत्र :- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
- (v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- (vi) जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

- (vii) **अनापत्ति प्रमाण-पत्र** :- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7 निरर्हतायें :-

- (अ) विकृत होने की स्थिति में।
(ब) दुश्चरित्र होने पर।
(स) शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।
(द) कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
(इ) **कदाचरण संबंधी** :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। चयन/नियुक्ति पश्चात् उक्त बात संज्ञान में आती है तो संबंधित का चयन सूची में उल्लेखित नाम तत्काल विलोपित होगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो गया हो तो उसे भी यथाशीघ्र निरस्त करते हुये अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

- 8** यदि उम्मीदवार पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त हो, जिसके आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा/साक्षात्कार

में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9 यात्रा व्यय का भुगतान :-

साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

10 अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

11 चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।

टीप :-

(अ) साक्षात्कार हेतु **Shortlisted** अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से/उम्मीदवार की ई-मेल आई.डी. पर/विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(ब) चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापित में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12 नियुक्ति के दौरान बॉण्ड :- नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन होने पर उसे 01 वर्ष का वेतन महाविद्यालय को चुकाना होगा।

13 विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश :-

(अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> में

प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाईट देखें :-

आवेदन-पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी/विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाईट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे।

14 अन्य आवश्यक निर्देश :-

(अ) समस्त नियुक्तियों शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी एवं किन्ही भी कारणों से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।

(ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

15 आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होंगे।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु सह
प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 539/स्था./राज. /संचिशि/2023	विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
---	--

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु सह-प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. सह-प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण :-

सह प्राध्यापक (पदोन्नति रोस्टर आधारित)

वेतनमान – 131400–217100 (सातवें वेतनमान में लेवल 13-ए)

क्रमांक	विषय	सह प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
1.	शरीररचना विज्ञान (Anatomy)	01	-	-	01
2.	शरीर रोग विज्ञान (Physiology)	01	-	-	01
3.	जीवरसायन विज्ञान (Biochemistry)	01	-	-	01
4.	भेषज विज्ञान (Pharmacology)	02	-	-	02
5.	रोग विज्ञान (Pathology)	02	01	-	03
6.	सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)	01	-	-	01
7.	फोरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान (Forensic Medicine)	01	-	-	01
8.	कम्यूनिटी मेडिसिन (Community Medicine)	02	-	-	02

क्रमांक	विषय	सह प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
9.	जनरल मेडिसिन (General Medicine)	02	-	-	02
10.	बालरोग विज्ञान (Pediatrics)	01	-	-	01
11.	त्वचा रोग विज्ञान (Dermatology)	01	-	-	01
12.	मनश्चिकित्सा (Psychiatry)	01	-	-	01
13.	जनरल सर्जरी (General Surgery)	02	-	-	02
14.	अस्थि रोग विज्ञान (Orthopedics)	01	-	-	01
15.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान (Obstetrics & Gynecology)	01	-	-	01
16.	संचेतनाहर विज्ञान (Anesthesiology)	02	-	-	02
17.	विकिरण विज्ञान (Radiodiagnosis)	01	-	-	01
18.	आपातकालीन मेडिसिन (Emergency Medicine)	01	-	-	01
19.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैब्लिटेशन (Physical Medicine & Rehabilitation)	01	-	-	01
कुल योग		25	01	-	26

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है :-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :-

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
सह प्राध्यापक पी.जी. के बाद 5 साल का अनुभव।	संबंधित विषय में एम.डी. / एम.एस. / डी.एन.बी.।	(i) किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में 4 साल के लिए विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में। (ii) कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए (एन.एम.सी./एम.

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
		<p>सी.आई. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप पेपर ही मान्य होंगे)।</p> <p>(iii) एन.एम.सी. द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।</p> <p>(iv) एन.एम.सी. द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।</p>

नोट :-

1. ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी/एमएस) और सुपर स्पेशियलिटी (डीएम/एमसीएच) स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।
2. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।

(ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों को छोड़कर)।

(स) विशेष :-

- (i) उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।
- (ii) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(द) टीप :-

- (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (iv) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

3. आयु सीमा :- विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकी आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।

नोट :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।
- (ii) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आयु सीमा के सम्बन्ध में दी गई छूट मान्य होगी।

4. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

- (i) विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
- (ii) विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाईन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

- (iii) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

5. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
निःशुल्क	निःशुल्क

6 अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों को स्वप्रमाणित कर ऑनलाईन अनिवार्य रूप से अपलोड करें :-

- (i) **आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- (ii) **शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :-** हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियाँ स्व-प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iii) **संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :-** यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- (iv) **शोध पत्र :-** समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।

(v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(vi) जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

(vii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निरर्हतायें :-

- (अ) विकृत होने की स्थिति में।
- (ब) दुश्चरित्र होने पर।
- (स) शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।

- (द) कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- (इ) **कदाचरण संबंधी** :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। चयन/नियुक्ति पश्चात् उक्त बात संज्ञान में आती है तो संबंधित का चयन सूची में उल्लेखित नाम तत्काल विलोपित होगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो गया हो तो उसे भी यथाशीघ्र निरस्त करते हुये अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
8. यदि उम्मीदवार पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त हो, जिसके आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचय (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**
साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।
10. **अधिवार्षिकी आयु :-** 65 वर्ष
11. **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।
12. साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।

टीप :-

(अ) साक्षात्कार हेतु **Shortlisted** अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से/उम्मीदवार की ई-मेल आई.डी. पर/विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(ब) चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. **नियुक्ति के दौरान बॉण्ड :-** नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन होने पर उसे 01 वर्ष का वेतन महाविद्यालय को चुकाना होगा।

14. **विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश :-**

(अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> में प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाइट देखें :-
आवेदन-पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी/विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे।

15. **अन्य आवश्यक निर्देश :-**

(अ) समस्त नियुक्तियों शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अधीन रहेगी एवं किन्हीं भी कारणों से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन

अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।

(ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

16. आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होंगे।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

आवेदन का प्रारूप

..... के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र (अंतिम तिथि / / 2023)

विज्ञापन क्रमांक :- दिनांक भोपाल

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

फोटो
स्वप्रमाणित

1. आवेदक का नाम.....
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित).....
.....
शहर का नाम—..... फोन नंबर.....
मोबाइल नंबर—..... ईमेल आइडी.....
5. स्थायी पता—.....
.....
शहर का नाम—..... फोन नंबर—.....
मोबाइल नंबर—.....
6. पहचान—पत्र नंबर —.....
7. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें)—.....
8. दिनांक 01/01/2023 को आवेदक की आयु—.....दिन.....माह.....वर्ष.....
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति— विवाहित/अविवाहित.....
10. विवाह का दिनांक—.....
11. श्रेणी अनारक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS/विकलांग
(PWD/भू पू सैनिक/महिला)
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
12. आवेदन के दिनांक को बच्चों की संख्या — कुल बच्चों की संख्या.....
क्रमानुसार जन्मतिथि.....

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु सहायक
प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 540/स्था./राज. /संचिशि/2023	विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है।
---	---

चिकित्सा शिक्षा विभाग अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सतना हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. सहायक प्राध्यापक के पदों पर की सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण :-

सहायक प्राध्यापक (सीधी भर्ती रोस्टर आधारित)

वेतनमान – 68900–205500 (सातवें वेतनमान में लेवल 11)

क्रमांक	विषय	सहायक प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या					कुल पदों की संख्या
		UR	OBC	ST	SC	EWS	
1.	शरीररचना विज्ञान (Anatomy)	01	01	01	-	-	03
2.	शरीर रोग विज्ञान (Physiology)	01	01	01	-	-	03
3.	जीवरसायन विज्ञान (Biochemistry)	01	01	00	-	-	02
4.	भेषज विज्ञान (Pharmacology)	01	01	00	-	-	02
5.	रोग विज्ञान (Pathology)	01	01	01	-	-	03
6.	सूक्ष्मजीव विज्ञान (Microbiology)	01	01	01	-	-	03

क्रमांक	विषय	सहायक प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या					कुल पदों की संख्या
		UR	OBC	ST	SC	EWS	
7.	फोरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान (Forensic Medicine)	01	00	00	-	-	01
8.	कम्यूनिटी मेडिसिन (Community Medicine)	02	01	01	-	-	04
9.	जनरल मेडिसिन (General Medicine)	01	01	01	-	-	03
10.	बालरोग विज्ञान (Pediatrics)	01	00	00	-	-	01
11.	त्वचा रोग विज्ञान (Dermatology)	01	00	00	-	-	01
12.	मनश्चिकित्सा (Psychiatry)	01	00	00	-	-	01
13.	श्वसनी रोग विज्ञान (Respiratory Medicine)	01	00	00	-	-	01
14.	जनरल सर्जरी (General Surgery)	01	01	01	-	-	03
15.	अस्थि रोग विज्ञान (Orthopedics)	01	00	00	-	-	01
16.	कान-नाक-गला रोग विज्ञान (Oto-rhino-laryngology)	01	00	00	-	-	01
17.	नेत्ररोग विज्ञान (Ophthalmology)	01	00	00	-	-	01
18.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान (Obstetrics & Gynecology)	01	01	00	-	-	02
19.	संचेतनाहर विज्ञान (Anesthesiology)	01	01	00	-	-	02
20.	विकिरण विज्ञान (Radiodiagnosis)	01	00	00	-	-	01
21.	दंत्य चिकित्सा (Dentistry)	01	00	00	-	-	01

क्रमांक	विषय	सहायक प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या					कुल पदों की संख्या
		UR	OBC	ST	SC	EWS	
22.	आपातकालीन मेडिसिन (Emergency Medicine)	01	00	00	-	-	01
23.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेब्लिटेशन (Physical Medicine & Rehabilitation)	01	00	00	-	-	01
कुल योग		24	11	7	-	-	42

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है :-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :-

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
सहायक प्राध्यापक	संबंधित विषय में एम.डी. /एम.एस./डी.एन.बी.।	एम.डी./एम.एस. की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष।

नोट :-

- ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डीएनबी) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एमडी/एमएस) और सुपर स्पेशियलिटी (डीएम/एमसीएच) स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में, शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

2. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।
 3. शरीर-रचना विभाग, शरीरक्रिया विभाग और जैव-रसायन विभाग में ऐसे गैर-चिकित्सा स्नातकों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास एमएससी (प्रासंगिक चिकित्सा) और पीएचडी योग्यता होगी, जो मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा संबंधित विषय में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित छात्र के रूप में प्रदान की गई हो। परंतु यह कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में 05 दिसंबर, 1998 को चिकित्सा संस्थान अधिनियम, 1998 के लागू होने से पहले एमएससी डिग्री के आधार पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रो-बायोलॉजी के विषयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त गैर-चिकित्सा स्नातक सहायक प्रोफेसर के रूप में विचार किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि, शिक्षण के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित चिकित्सा विषय में पीएचडी की डिग्री आवश्यक है।
 4. शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, औषधि विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान संकाय के रूप में गैर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की सीमा विभाग में कुल पदों की संख्या 30 प्रतिशत होगी। जैव रसायन (बायोकेमिस्ट्री) के मामले में गैर चिकित्सा शिक्षकों को कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत तक नियुक्त किया जा सकता है।
- (ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य (गैर चिकित्सा योग्यता वाले चिकित्सकों को छोड़कर)।
- (स) विशेष :-
- (i) उक्त अर्हताएं विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे।

- (ii) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(द) टीप :-

- (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
- (iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (iv) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य

पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

3. आयु संगणना तिथि :- 01.01.2023

आयु सीमा :-

(अ) सहायक प्राध्यापक हेतु – 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ब) नोट :-

(i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

(ii) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आयु सीमा के सम्बन्ध में दी गई छूट मान्य होगी।

4. आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

(i) विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।

(ii) विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र एवं ऑफलाईन आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।

(iii) आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,

छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन, भोपाल के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

5. ऑनलाईन आवेदन शुल्क :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
निःशुल्क	निःशुल्क

6. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों को स्वप्रमाणित कर ऑनलाईन अनिवार्य रूप से अपलोड करें :-

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- (ii) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधियाँ स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- (iii) संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
- (iv) शोध पत्र :- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
- (v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(vi) जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

(vii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निरर्हतायें :-

- (अ) विकृत होने की स्थिति में।
- (ब) दुश्चरित्र होने पर।
- (स) शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता है।
- (द) कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

(इ) कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो। चयन/नियुक्ति पश्चात् उक्त बात संज्ञान में आती है तो संबंधित का चयन सूची में उल्लेखित नाम तत्काल विलोपित होगा। इसी प्रकार, यदि नियुक्ति आदेश जारी हो गया हो तो उसे भी यथाशीघ्र निरस्त करते हुये अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. यदि उम्मीदवार पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त हो, जिसके आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. यात्रा व्यय का भुगतान :-

साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

10. अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

11. चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों

12. साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी।

टीप :-

(अ) साक्षात्कार हेतु **Shortlisted** अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से/उम्मीदवार की ई-मेल आई.डी. पर/विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(ब) चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. नियुक्ति के दौरान बॉण्ड :- नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बॉण्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन होने पर उसे 01 वर्ष का वेतन महाविद्यालय को चुकाना होगा।

14. विज्ञापन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश :-

(अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> में प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

(ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाइट देखें :-
आवेदन-पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी/विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाइट <https://medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध रहेंगे।

15. अन्य आवश्यक निर्देश :-

(अ) समस्त नियुक्तियाँ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अधीन रहेगी एवं किन्हीं भी कारणों से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति

में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।

(ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

16. आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 05/06/2023 सायं 5.00 बजे तक ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होंगे।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश